BA Part II. Political Science (Subsidiary)

विषय: विश्व के प्रमुख संविधान: इंग्लैंड, अमेरिका, भारत

टॉपिक: 'राजा कोई गलती नही करता', इस कथन का अभिप्राय:-

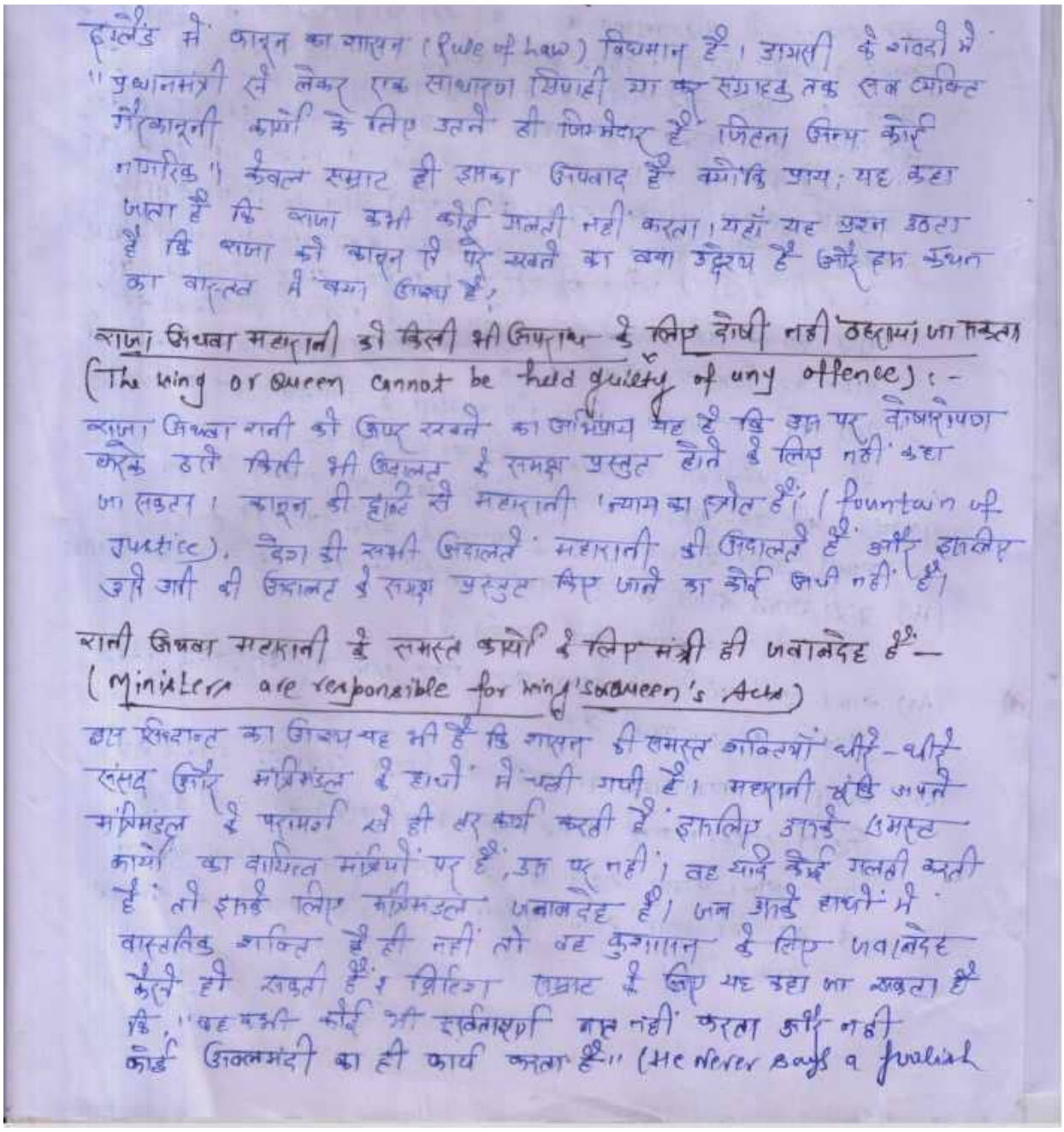

इंग्लैंड में कानून का शासन (Rule of Law) विद्यमान है। डायसी के शब्दों में "प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्राहक तक सब व्यक्ति गैरकानूनी कार्यों के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना अन्य कोई नागरिक"। केवल सम्राट ही इसका अपवाद है क्योंकि प्रायः यह कहा जाता है कि राजा कभी कोई गलती नही करता। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि राजा को कानून से परे रखने का क्या उद्देश्य है और इस कथन का वास्तव में क्या अर्थ है?

<u>राजा अथवा महारानी को किसी भी अपराध के लिए दोषी नही ठहराया जा सकता</u>
(The king or Queen cannot be held guilty of any offence):-
राजा अथवा रानी को ऊपर रखने का अभिप्राय यह है कि उन पर दोषारोपण करके उसे किसी भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए नहीं कहा जा सकता। कानून की दृष्टि से महारानी 'न्याय का स्रोत हैं' (fountain of Justice). देश की सभी अदालतें महारानी की अदालतें हैं और इसलिए उसे उसी की अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का कोई अर्थ नहीं है।

<u>रानी अथवा महारानी के समस्त कार्यों के लिए मंत्री ही जवाबदेह हैं</u>—
(<u>Ministers are responsible for king's or Queen's Acts</u>)
इस सिद्धान्त का अर्थ यह भी है कि शासन की समस्त शक्तियाँ धीरे-धीरे संसद और मंत्रिमंडल के हाथों में चली गयी हैं। महारानी चूंकि अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से ही हर कार्य करती हैं इसलिए उनके समस्त कार्यों का दायित्व मंत्रियों पर है, उन पर नहीं। वह यदि कोई गलती करती हैं तो इसके लिए मंत्रिमंडल जवाबदेह है। जब उनके हाथों में वास्तविक शक्ति है ही नहीं तो वह कुशासन के लिए जवाबदेह कैसे हो सकती हैं? ब्रिटिश सम्राट के लिए यह कहा जा सकता है कि, "वह कभी कोई भी सर्वनाशपूर्ण बात नहीं करता और नहीं कोई अक्लमंदी का ही कार्य करता है।" (He Never says a foolish

thing; nor even does a wise one)।

मंत्री अपने बचाव के लिए दलील नहीं दे सकते कि वे राजा अथवा महारानी के आदेशानुसार कार्य कर रहे थे :-
(Ministers cannot plead in their defence that they acted under order from king or Queen) :-

इस सिद्धान्त का तीसरा पहलू यह है कि यदि कोई मंत्री किसी अपराध का दोषी पाया जाए तो वह अपने बचाव के लिए दलील नहीं दे सकता वह सम्राट के आदेशानुसार कार्य कर रहा था। उसे अपने अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। 1678 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने फ्रान्स के शासक लुई चौदहवें के साथ एक गुप्त संधि की थी। इस संधि द्वारा फ्रान्स ने तीन लाख पौंड प्रतिवर्ष चार्ल्स को देना स्वीकार किया था। बदले में ब्रिटिश सम्राट ने हालैण्ड के विरुद्ध लड़ाई में लुई प्रतिवर्ष चार्ल्स को देना स्वीकार किया था। बदले में ब्रिटिश सम्राट ने हालैण्ड के विरुद्ध लड़ाई में लुई की सहायता करनी थी। यह संधि सम्राट के मंत्री डैन्बी के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश संसद ने डैन्बी पर गुप्त रूप से संधि करने का आरोप लगाया। राजा ने डैन्बी को क्षमा कर दिया पर कॉमन सभा ने उसे निर्दोष नहीं माना। डैन्बी को पाँच वर्ष का कारावास मिला। प्रो० एडम्स के मतानुसार इस महाभियोग ने निम्नलिखित सिद्धान्तों की स्थापना की :-

(i) मंत्री को उन कुकृत्यों के लिए दंडित किया जा सकता है जो उसने अपनी प्रेरणा से नहीं, बल्कि सम्राट के कहने पर किए।

(ii) मंत्री अपने बचाव में यह दलील नहीं दे सकते कि वे राजा अथवा रानी के आदेशानुसार कार्य कर रहे थे।

(iii) राजा द्वारा मंत्री को क्षमा कर दिए जाने पर भी, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(iv) राजा का परमाधिकार भी मंत्री को उसके दोषों से मुक्ति नहीं दिला सकता। यदि कॉमन सभा किसी मंत्री को दोषी ठहराए और राजा कॉमन सभा को ही भंग कर दे तो आम चुनावों के बाद जो नया सदन बनेगा वह पुनः उस मामले की छानबीन कर सकता है।

क्राउन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई वाला अधिनियम (The crown Proceedings Act of 1947) :-

इस सम्बन्ध में हमें 1947 के उस अधिनियम को भी ध्यान में रखना चाहिए जो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध नागरिकों को एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम की मूल भावना यह है कि सम्राट स्वयं भले ही कानून से परे हो, पर नागरिक उन सभी कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जिन्होंने सरकारी ड्यूटी को अंजाम देते समय उन्हें क्षति पहुँचाई हो। इन कर्मचारियों के कार्यों के लिए सरकार स्वयं जवाबदेह समझी जाएगी। अतः नागरिकों को 'क्राउन' यानी सरकार से हरजाना वसूल करने का अधिकार है। संक्षेप में 1947 के "क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट" ने यह मान लिया है कि क्राउन भी गलती कर सकता है।